PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाईट www.ptcul.org

पत्रांकः 287/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/आई0आर–2 दिनांकः 18/02/2026

परिपत्र

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष, पिटकुल,
...।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–103/ I(2)/ 2026–05–107/2003 दिनांक 11.02.2026 के द्वारा **"अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966"** (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अधिसूचना को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों को उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथापरोक्त।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

पत्रांकः /म0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ आई0आर0–2 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0एवंप्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वह इस परिपत्र को संलग्नक सहित पिटकुल की वेबसाईड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करे।
4. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/सूचना पट।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

No. 474 /MD/PTCUL/ 61 Dt. 12/02/26

मoप्रo (माoकाo) (ओo)
12/2/26

प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्याः–103/I(2)/2026-05-107/2003
देहरादून, दिनांक 11 फरवरी, 2026
अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अंब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफॅ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश भी देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–103 /I(2)/2026-05-107/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त निदेशक, प्रभारी मुद्रण एवं लेख सामाग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के आगामी अंक में विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में प्रकाशनार्थ प्रेषत। असाधारण गजट की 100 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. **प्रबन्ध निदेशक**, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें।
9. प्रभारी, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अतुल कुमार सिंह)
उप सचिव

कार्यालय में पत्र प्राप्ति की तिथि 12/02/26
प्राप्तकर्ता
कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

dR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 437
File
Date 12/02/26

DGM HR
13/2/2026

(29)

In pursuance of the clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification no. .103...../I(2)/2026-05-107/2003 dated.11.Feb,2026... for general information.

Government of Uttarakhand
Energy Section-2
N0. 103(1)/I(2)/2026-05-107/2003
Dehradun, Dated 11 February, 2026
Notification

Whereas, the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do, Now therefore, the Governor, in exercise of the power under sub section (1) of section-3 of the Uttar Pradesh Essential Service Maintenance Act 1966, (as applicable to the State of Uttarakhand) hereby prohibits with immediate effect strike for six months from the date of publication of this order in ALL CATEGORIES OF STAFF OF UTTARAKHAND JAL VIDHUT NIGAM LTD, UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD AND POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD, and under sub- section (2) of section-3 of the said Act directs that this order be published in gazette.

(R.Meenakshi Sundaram)
Principal Secretary

No. 103(1)/ I(2)/2026-05-107/2003

Copy forwarded for information and necessary action to:
1-Principal secretary, Home Department, Uttarakhand Government.
2-Director General of Police, Uttarakhnad.
3-Commissioner Garhwal Division Pauri / Kumaun Division Nanital.
4-All District Magistrate, Uttarakhand.
5-All SSP, Uttarakhand.
7-Joint Director, Government Printing Press, Roorkee with the request that please publish this notification in the State Gazette Extraordinary on the next date and make available 100 copies to the Government.
8-Chairman, Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, Dehradun.

28

9-Managing Director, Uttarakhand Power Corporation Ltd., Managing Director, Power Transmission Corporation Uttarakhand Ltd., Managing Director, Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd., Dehradun.

10-Incharge, NIC Secretariat Complex.

11- Guard File.

By order,

(Atul Kumar singh)
Deputy Secretary